न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O), सिवाना

पीठासीन अधिकारी सुरेन्द्र सिंह खंगारोत आर.ए.एस

प्रकरण संख्या :—73 / 2025

प्रार्थीगणः—

1. भटाराम पुत्र धोकाराम उर्फ दोलाराम जाति भांबी (मेगवाल) निवासी इन्द्राणा तहसील सिवाना जिला बालोतरा
2. चौथीदेवी पत्नी धोकाराम उर्फ दोलाराम जाति भांबी (मेगवाल) निवासी इन्द्राणा तहसील सिवाना जिला बालोतरा

बनाम

विप्रार्थीः—

राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदार सिवाना जिला बालोतरा

प्रार्थना पत्र बाबत रेकर्ड शुद्धि अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :—

श्री· जयप्रकाश रामदेव अधिवक्ता प्रार्थीगण

—:: आदेश ::—

दिनांक :— 03.09.2025

संक्षेप में आवेदन के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की खातेदारी की कृषि भूमि खसरा संख्या 739, 740, 741 व 742 रकबा 0.2317, 0.0545, 01.0594 व 01.2041 हैक्टेयर भूमि ग्राम कल्याणसिंह की ढाणी तहसील सिवाना व खसरा संख्या 418 व 419 रकबा 01.8741 व 00.0490 हैक्टेयर भूमि ग्राम इन्द्राणा तहसील सिवाना में अवस्थित है जिस पर प्रार्थीगण काबिज होकर काश्त करता आ रहा है। प्रार्थीगण के पिता/पति का अन्य समस्त दस्तावेजात यथा आधार कार्ड, बैंक पासबुक, पेन कार्ड, परिवार राशन कार्ड, जन आधार कार्ड में आदि में प्रार्थीगण के पिता/पति का वास्तविक नाम "दोलाराम" दर्ज है किन्तु विवादित भूमि के राजस्व रेकर्ड में त्रुटिवश प्रार्थीगण के पिता/पाति नाम "धोकाराम" लिख दिया। प्रार्थीगण के पिता/पति का अशुद्ध नाम अंकित होने से प्रार्थीगण अपनी भूमि के विकास हेतु सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं ले पा रहा है। अतः प्रार्थीगण ने राजस्व रिकार्ड में अपने पिता/पति का नाम दुरूस्त करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर जरिये नोटिस विप्रार्थी की तलबी की गई। तहसीलदार सिवाना के पत्र क्रमांक [illegible]/[illegible]5/1763 दिनांक 28.08.2025 द्वारा प्रार्थीगण के पिता/पति के वास्तविक नाम [illegible] सम्बन्ध में तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रेषित की। प्रार्थीगण ने दस्तावेजी साक्ष्य में आधार कार्ड, राशनकार्ड, जॉब कार्ड, जाति प्रमाण पत्र,आदि प्रस्तुत किये है व प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्राथी भट्टाराम के बयान कलमबद्ध करवाये गये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2025.11.02 17:40:52 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा) सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

दौराने बहस प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि प्रार्थीगण के पिता/पति का वास्तविक नाम "दोलाराम" है, किन्तु राजस्व कर्मचारियों द्वारा विवादित भूमि में त्रुटिवश प्रार्थीगण के पिता/पति का नाम "दोलाराम" के स्थान पर "धोलाराम लिख दिया जाने से राजस्व रिकार्ड में भी इसी अनुसार अशुद्ध प्रविष्टि अंकित हो गयी। इस प्रकार दस्तावेजात एवं राजस्व रिकार्ड में विभिन्नता होने से प्रार्थीगण अपनी भूमि के स्वतंत्र विकास हेतु सरकारी संस्थाओं से ऋण अनुदान आदि सुविधाएं प्राप्त नहीं कर पा रहा है। अतः प्रार्थीगण राजस्व रिकार्ड में अपना शुद्ध व सही नाम दर्ज करवाने का अधिकारी है।

हमने प्रार्थीगण के अधिवक्ता की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित रिपोर्ट का अवलोकन किया। प्रार्थी के राशनकार्ड, आधार कार्ड, जॉब कार्ड आदि दस्तावेजात में प्रार्थीगण के पिता/पति का नाम "दोलाराम" दर्ज है,किन्तु विवादित भूमि में प्रार्थीगण के पिता /पति का नाम "धोलाराम" दर्ज करने से राजस्व रिकार्ड में अशुद्ध प्रविष्टि अंकित हो गयी। तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित रिपोर्ट से भी प्रार्थी का वास्तविक नाम "दोलाराम" होने की पुष्टि होती है। ऐसी सूरत में प्रार्थीगण के पिता/पति का नाम राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर खसरा संख्या 739, 740, 741 व 742 रकबा 0.2317, 0.0545, 01.0594 व 01.2041 हैक्टेयर भूमि ग्राम कल्याणसिंह की ढाणी तहसील सिवाना व खसरा संख्या 418 व 419 रकबा 01.8741 व 00.0490 हैक्टेयर भूमि ग्राम इन्द्राणा तहसील सिवाना के भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण के पिता/पति का नाम "धोलाराम" के स्थान पर "दोलाराम उर्फ धोलाराम" दुरूस्त करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार सिवाना को तद्नुसार दुरूस्ती सुनिश्चित किये जाने हेतु आदेशित किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 03.09.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)

(सुरेन्द्र सिंह खंगारोत)
उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2025.11.02 17:40:52 IST
Reason: SelfAttested